



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



सीबीएसई/एलओसी/2023-24/

17.08.2023

सीबीएसई से संबद्ध

सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य

(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय : कक्षा X/XII परीक्षा 2023-24 के लिए अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) का प्रस्तुतीकरण

महोदया/महोदय,

प्रत्येक वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन की तैयारियों हेतु कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत करना सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। 2023-24 सत्र के लिए एलओसी के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों के डाटा प्रस्तुति की गतिविधि 18 अगस्त 2023 से शुरू होगी। एलओसी प्रस्तुतीकरण सीबीएसई की वेबसाइट <https://cbse.gov.in> में दिए गए ई-परीक्षा लिंक के माध्यम से किया जाएगा।

अनुसूची के अनुसार अभ्यर्थी सूची (एलओसी) जमा करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, छात्रों को भविष्य में समस्या न हो इससे बचने के लिए छात्रों का सही डेटा जमा करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए स्कूलों से अनुरोध है कि वे छात्रों का डेटा समय पर जमा करने की योजना बनाएं। स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भरा गया डेटा सही हो।

अभ्यर्थियों की सूची में छात्रों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जानी है:

1. अभ्यर्थियों की सूची में विभिन्न विवरण/सूचनाएं हैं, जिन्हें समझे बिना स्कूल एलओसी को सही ढंग से नहीं भर पाएंगे। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि प्रधानाचार्य द्वारा उन व्यक्तियों/ शिक्षकों के साथ बैठक की जाए जिन्हें एलओसी को भरने का दायित्व सौंपा गया है, जिसमें परिपत्र पर विस्तार से चर्चा की जाए और भली-भाँति समझकर एलओसी भरी जाए।
2. सत्र 2023-24 में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में केवल उन्हीं छात्रों को बैठने की अनुमति दी जाएगी, जिनके नाम इस परिपत्र में वर्णित एलओसी जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।
3. प्रधानाचार्यों/स्कूलों को सुनिश्चित करना चाहिए कि:-

(क) प्रायोजित छात्र केवल उनके अपने नियमित और वास्तविक छात्र हैं।

(ख) किसी भी वास्तविक छात्र का नाम अप्रायोजित नहीं छोड़ा गया है।

(ग) छात्र किसी भी अनधिकृत / असंबद्ध स्कूल से नहीं हैं।

(घ) विद्यार्थी नियमित रूप से आपके विद्यालय में कक्षाओं में भाग ले रहे हैं।

(ङ) छात्र सीबीएसई के अतिरिक्त किसी अन्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

(च) छात्र परीक्षा उप विधि के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने के पात्र हैं।

(छ) कक्षा 12 के छात्रों के मामले में, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि छात्रों ने अपनी कक्षा 10 की परीक्षा केवल किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से शैक्षणिक वर्ष 2022 या उससे पहले उत्तीर्ण की है।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in



मामले का सार यह है कि वे सभी छात्र जो सीबीएसई के परीक्षा उप-विधि के अनुसार पात्र हैं, केवल उन्हें बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रायोजित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आपका ध्यान संबद्धता उपविधि -2018 के पैरा 14.2 के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार हैं:-

“प्रत्येक संबद्ध स्कूल के लिए बोर्ड की परीक्षा उपविधि का यथावश्यक परिवर्तन सहित पालन करना अनिवार्य है।

- 14.2.1 प्रत्येक संबद्ध स्कूल बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के समय कक्षा 9, 10, 11 और 12 के संबंध में छात्रों की संख्या और उनके विवरण की एक सूची प्रस्तुत करेगा।
- 14.2.2 कोई भी संबद्ध स्कूल उन अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित नहीं करेगा जो इसकी नामावली में नहीं हैं।
- 14.2.3 कोई भी संबद्ध स्कूल उन अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित नहीं करेगा जो किसी असंबद्ध स्कूल/शाखा की नामावली में हैं।
- 14.2.4 कोई भी संबद्ध स्कूल उन अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित नहीं करेगा जो परीक्षा में शामिल हैं, लेकिन नियमित रूप से स्कूल नहीं गए हैं या बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।
- 14.2.5 प्रत्येक संबद्ध स्कूल नियमित रूप से बिना किसी ब्रेक संबद्धता / उन्नयन प्रदान करते समय उल्लेखित वर्ष से बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में अपने वास्तविक और पात्र छात्रों को नियमित रूप से प्रायोजित करेगा या लिखित में कारणों के साथ अभ्यर्थियों को प्रायोजित न करने के बारे में समय पर सूचित करेगा।
- 14.2.6 बोर्ड से संबद्ध स्कूल किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को नहीं भेजेगा। यह केवल सीबीएसई की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करेगा।”

4. सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत करने, कक्षा कक्षाओं और शिक्षकों की उपलब्धता के लिए सीबीएसई की उपविधियों/ नियमों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। एक कक्षा में 40 छात्रों को अनुमति है और अनुभाग शिक्षक अनुपात 1:1.5 है। इसके अलावा, अनुभागों की संख्या बोर्ड द्वारा अनुमत अनुभागों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है।

हालाँकि, वेब-लिंक https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents//Circular_relaxation_section_strength_02082023.pdf पर उपलब्ध परिपत्र संख्या सीबीएसई/सीई/परिपत्र/2023 दिनांक 02 अगस्त 2023 के माध्यम से एक विशेष उपाय के रूप में पुनः संरेखण की ओर बोर्ड द्वारा प्रति अनुभाग 45 छात्रों की संख्या की केवल तीन वर्षों (2024, 2025 और 2026) के लिए की अनुमति दी गई है।

इसलिए सभी स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे परिपत्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तदनुसार ओएसिस में डेटा भरें।

5. सभी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों को ऑनलाइन प्रस्तुति करने के लिए आगे बढ़ने से पहले स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। स्कूलों को उनके पास पहले से उपलब्ध 'संबद्धता संख्या' को यूजर आईडी के रूप में उपयोग करना चाहिए।
6. नए संबद्ध स्कूलों को पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, यदि उन्हें अपना पासवर्ड या इसके बारे में निर्देश नहीं मिला है। पासवर्ड प्राप्त करने के बाद, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में उपयोग के लिए पासवर्ड बदल दें और

दुरुपयोग से बचने के लिए इसे गोपनीय रखें। पासवर्ड की सुरक्षा बनाए रखना स्कूलों की ही जिम्मेदारी होगी।

7. बोर्ड "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" में परिभाषित दिव्यांग अभ्यर्थियों को कई छूट/रियायतें प्रदान कर रहा है। इस संदर्भ में स्कूल लिंक https://www.cbse.gov.in/cbsenew/Examination_Circular/2019/5_CIRCULAR.pdf पर उपलब्ध संचार का संदर्भ ले सकते हैं।

सीडब्ल्यूएसएन छात्रों की श्रेणी सावधानीपूर्वक चयनित की जाएगी और एलओसी में प्रस्तुत की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन छात्रों को परीक्षाओं के संचालन के दौरान लागू छूट स्वचालित तरीके से प्रदान की जा सकें।

स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक कार्रवाई और अनुमोदन लेकर ऐसे सभी छात्रों के नाम प्रायोजित कर दिए जाएं। अनुसूची/समय-सारणी समाप्त होने और एलओसी जमा होने के बाद स्कूलों और छात्रों के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

एलओसी जमा करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली की विशेषताएं

8. एलओसी जमा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, मौजूदा स्कूलों को ओएसिस और एचपीई पोर्टल पर डेटा अपडेट करना होगा।
9. गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए पात्र मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए केवल वे टीजीटी/पीजीटी, जो क्रमशः कक्षा IX-X/XI-XII पढ़ा रहे हैं, उन्हें टीजीटी/पीजीटी के रूप में दिखाया जाना चाहिए। तदनुसार, OASIS में, शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई कक्षाओं को स्कूलों को स्पष्ट रूप से भरने की आवश्यकता है। स्कूल छोड़ने वाले शिक्षकों के नाम डेटा से हटा दिए जाएं। साथ ही उन शिक्षकों के नाम, जिनके नाम मौजूदा आंकड़ों में नहीं आ रहे हैं, शामिल किए जाएंगे।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी शिक्षकों का पूरा नाम ओएसिस में भरा जाए। संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि संक्षिप्ताक्षर दिये जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि स्कूलों द्वारा शिक्षकों का गलत डाटा उपलब्ध कराया गया है। नामों के आगे कोई अभिवादन आदि नहीं लगाया जाएगा।
11. नए स्कूलों को निम्न करना है:-
 - (क) सबसे पहले OASIS पोर्टल पर जानकारी दर्ज करें
 - (ख) इसके बाद, वे एचपीई पोर्टल पर डेटा जमा करेंगे।
 - (ग) उपरोक्त गतिविधि (क) और (ख) को पूरा करने के बाद, वे एलओसी डेटा जमा कर सकते हैं।
12. OASIS पर जानकारी बहुत सावधानी से भरी जानी चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी सूची जमा करने उपरांत स्कूलों को छात्रों के **घोषित सेक्शन/संख्या को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
13. विद्यालय द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। विद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रत्येक विषय में प्रायोजित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को कार्यमुक्त करे।
14. स्कूल एलओसी डेटा को तभी अंतिम रूप दे पाएंगे जब उन्होंने पहले एचपीई पोर्टल पर डेटा प्रस्तुत किया होगा। एचपीई पोर्टल का लिंक सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एचपीई पोर्टल पर डेटा सफलतापूर्वक भरने के बाद एक पुष्टिकरण संख्या उत्पन्न होगी। स्कूलों से अनुरोध है कि भविष्य में संदर्भ के लिए इस पुष्टिकरण संख्या को सुरक्षित रखें।
15. जिन स्कूलों ने IX/XI कक्षा के पंजीकरण में अपने छात्रों के फोटो अपलोड नहीं किए थे, उन्हें एलओसी अंतिम रूप से जमा करने से पहले इसे अपलोड करना होगा। नए संबद्ध स्कूलों को भी अपने वास्तविक छात्रों के फोटो अपलोड करने होंगे। फोटो को अपलोड करने की सही प्रक्रिया

अनुलग्नक-ड. में दी गई है। सीबीएसई के आईटी एप्लिकेशन/पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए स्कूलों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जनशक्ति की आवश्यकताएं **माध्यमिक और वरिष्ठ स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षाओं के संदर्भ में रूपरेखा और महत्वपूर्ण दिशानिर्देश** के सेक्शन-XXV में दी गई हैं।

16. यह ध्यान दिया जाए कि कक्षा X और XII के लिए एलओसी जमा करते समय, स्कूल को उन्हीं छात्रों का डेटा दिखाया जाएगा जो उनके द्वारा पिछले वर्ष कक्षा IX और XI में पंजीकरण के लिए जमा किए गए थे। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे उन छात्रों का विवरण "डिलीट" करें जो स्थानांतरण/अन्य कारणों से स्कूल से बाहर चले गए हैं। बोर्ड के नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही स्कूल "सीधे प्रवेश" श्रेणी के तहत दसवीं/बारहवीं कक्षा में प्रवेश पाने वाले छात्रों को जोड़ सकते हैं।
17. स्कूलों को एलओसी जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी करनी होगी। एलओसी प्रस्तुति मॉड्यूल में डाउनलोड करने योग्य एक्सेल फ़ाइल में डेटा भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि एलओसी में केवल मामूली सुधार की अनुमति है।
18. संबंधित कक्षा में पुनः प्रवेश के लिए इच्छुक पिछले शैक्षणिक सत्र के दसवीं/बारहवीं कक्षा के छात्रों के मामले को पुनः प्रवेश मामलों के रूप में माना जाएगा और प्रत्यक्ष प्रवेश मामलों के लिए परिभाषित प्रक्रिया लागू होगी और इस प्रकार स्कूलों द्वारा इसका पालन किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि बोर्ड के नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से उचित अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।
19. परीक्षा उप-विधि के नियम 6.1 (ए) (iii) के अनुसार, स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि एक कक्षा में प्रवेश चाहते समय, छात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित और जहां स्कूल स्थित है, उस स्थान पर लागू शर्तों के अनुसार आयु सीमा (न्यूनतम और अधिकतम) की आवश्यकता को पूरा करता है।
20. कई संगठन और राज्य छात्रों की वित्तीय स्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। तदनुसार, माता-पिता की वार्षिक आय के बारे में उनके द्वारा दी गई जानकारी एकत्र की जा सकती है। स्कूलों को माता-पिता से आईटीआर/अन्य आय प्रमाण आदि की मांग नहीं करनी चाहिए।
21. संबद्धता उपविधि के अनुसार, प्रयोगशाला की आवश्यकता वाले विषयों को छोड़कर विद्यालय ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में किसी भी शैक्षणिक विषय की पेशकश कर सकता है। **जिन विषयों में प्रयोगशाला का कार्य शामिल है, स्कूल को मंजूरी लेनी होगी, यदि पहले नहीं ली गई हो।** शैक्षणिक विषय जिनमें प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है, उन्हें OASIS में अद्यतन करके पेश किया जा सकता है।
22. सीबीएसई के परिपत्र संख्या शैक्षणिक-38/2021 के अनुसार, किसी भी स्तर पर कौशल विषय (विषयों) को शुरू करने के लिए संबद्ध स्कूलों को किसी औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
23. अध्ययन की योजना के अनुसार बोर्ड ने विषयों के मान्य/अमान्य संयोजन की सूची निर्धारित की है। एलओसी में विषयों को भरने से पहले स्कूल को **अनुलग्नक-ज** (कक्षा X के लिए) और **अनुलग्नक-ट** (कक्षा XII के लिए) के अनुसार विषयों के संयोजन की जांच करनी चाहिए।
24. प्रत्येक शुल्क स्लैब के लिए सभी छात्रों का विवरण केवल एक लॉट में जमा किया जाना चाहिए। शुल्क स्लैब में डेटा को आंशिक रूप से जमा करने की अनुमति नहीं होगी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक स्लॉट में छात्रों की केवल एक सूची स्वीकार की जाएगी।
25. पहले के वर्षों में, स्कूलों को दसवीं/ बारहवीं कक्षा के एलओसी के अंतिम रूप से तैयार डेटा की हस्ताक्षरित प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने की आवश्यकता थी। 2021 से इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। अब एलओसी को उपलब्ध कराए गए पर सिस्टम पर प्रधानाचार्य

- के आधार से जुड़े ई-हस्ताक्षर के साथ अपलोड किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि अपलोड किया गया डेटा पूरी तरह से सही है। इसकी अंतिम रूप से प्रस्तुति के बाद सीबीएसई द्वारा डेटा को अपडेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
26. **अपलोड किए गए डेटा में सुधार के लिए कोई विंडो उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सही डेटा अपलोड करना संबंधित स्कूल की जिम्मेदारी है।**
 27. प्राइवेट/द्वितीय अवसर कम्पार्टमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए लिंक अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।
 28. अब, एलओसी ऑनलाइन जमा करने के लिए, पर्याप्त समय दिया जा रहा है। स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार डेटा अपलोड कर सकते हैं लेकिन केवल निर्धारित समय के भीतर। वे कई अवसरों पर डेटा अपलोड कर सकते हैं और इसे संचित कर सकते हैं। तथापि, उन्हें शुल्क के साथ अंतिम तिथि पर या उससे पहले डेटा जमा करना होगा। डेटा जमा होने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 29. ऑनलाइन प्रस्तुति निर्धारित तिथियों पर मध्यरात्रि 11:59 बजे बंद हो जाएगी। इसलिए, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि किसी अन्य आधार पर या अंतिम दिन से ठीक पहले के दिन इंटरनेट पर भारी लोड के कारण या धीमी गति से कनेक्शन/सर्वर से कनेक्ट होने में विफलता की संभावना से बचने के लिए एलओसी की ऑनलाइन प्रस्तुति को समय पर पूरा करें।
 30. प्रत्येक गतिविधि के लिए अंतिम तिथि निर्धारित है और अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी।
अतः स्कूलों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि और समय के भीतर गतिविधि को पूरा करें।
 31. एलओसी जमा करने के बाद, बोर्ड द्वारा विषय परिवर्तन, कक्षा -X और XII में प्रवेश (स्थानांतरण मामलों को छोड़कर) और सीडब्ल्यूएसएन के लिए रियायतों के लिए किसी भी अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा।
 32. किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जाए।

डेटा अपलोड करते समय, स्कूल निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे:-

33. छात्र/माता/पिता/ अभिभावक के नाम की वर्तनी सही हो और वह स्कूल द्वारा बनाए गए दाखिल-खारिज पंजिका के अनुरूप है।
34. जन्म तिथि सही है और वह स्कूल द्वारा बनाए गए दाखिल-खारिज पंजिका के अनुरूप है।
35. विषय संयोजन सही है तथा अध्ययन योजना के अनुरूप है।
विषय कोड का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए तथा विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों में कोड सही चुने जायें:

(क) कक्षा - 10 में :

- हिंदी - ए (002), हिंदी - बी (085),
- उर्दू ए (003), उर्दू बी (303)
- गणित स्टैंडर्ड (041), गणित बेसिक (241)

(ख) कक्षा- 12 में :

- हिंदी कोर (302), हिंदी इलेक्टिव (002),
- अंग्रेजी कोर (301), अंग्रेजी इलेक्टिव (001),
- संस्कृत कोर (322), संस्कृत इलेक्टिव (022),
- उर्दू कोर (303), उर्दू इलेक्टिव (003),
- गणित (041), अनुप्रयुक्त गणित (241)

कई स्कूल एलओसी जमा करने के बाद और परीक्षाओं से ठीक पहले विषय बदलने के लिए सीबीएसई से संपर्क कर रहे हैं। ऐसे अनुरोध स्वीकार नहीं किये जायेंगे और विषय नहीं बदले जायेंगे।

36. विभिन्न गतिविधियाँ जैसे सीधे प्रवेश, विषयों में परिवर्तन, और सीडब्ल्यूएसएन उम्मीदवारों को सुविधाएं देने के लिए आवेदन जमा करना आदि की तिथियों के सम्पूर्ण विवरण वाला एक परिपत्र अलग से जारी किया जा रहा है।

OASIS में डेटा जमा करना

स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना डेटा OASIS पोर्टल पर हर समय अपडेट रखें। हालांकि, स्कूल अपने एलओसी/डेटा को अंतिम रूप देने से पहले एक बार फिर ओएसिस पोर्टल पर जानकारी को पूरा/अपडेट कर सकता है। एलओसी जमा करने से पहले ओएसिस डेटा को पूरा/अपडेट करना अनिवार्य है।

पाठ्यविवरण तथा अध्ययन योजना

बोर्ड ने अध्ययन योजना निर्धारित की है जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए https://cbseacademic.nic.in/curriculum_2024.html लिंक पर पाठ्यक्रम में उपलब्ध है। स्कूलों को केवल अध्ययन योजना के अनुसार विषयों की पेशकश करने की आवश्यकता है।

यह अपेक्षा की जाती है कि स्कूल दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे, छात्रों का सही डेटा एकत्र करेंगे और उसे सही ढंग से भी जमा करेंगे। सही डेटा अपलोड करने के उनके प्रयासों से अभ्यर्थियों को सही विषय के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और सही विवरण के साथ दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जिससे परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत डेटा में सुधार के मामलों में भी कमी आएगी।

कार्यालयी समय के दौरान किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए कृपया <https://wwwcbse.gov.in/cbsenew/contact-us.html> लिंक पर जायें।

उन स्कूलों के लिए निर्देश जिन्होंने अभी तक अनुपालना नहीं भेजी है

जिन स्कूलों के SARAS में विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदनों को सशर्त अनुमति दी गई है, और जिन्होंने अभी तक अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें इस वर्ष 2024 परीक्षाओं के लिए LOC भरने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे स्कूलों के लिए अनुपालन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि बढ़ाई जाएगी और उन्हें सूचित किया जाएगा। हालाँकि, यदि वे विस्तारित अवधि में अनुपालन प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 2025 में होने वाली परीक्षाओं के लिए एलओसी भरने से विवर्जित कर दिया जाएगा।

भवदीय

हस्ता./-

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक

अनुलग्नक क	कक्षा X/XII में अभ्यर्थी सूची प्रस्तुति हेतु शुल्क विवरण
अनुलग्नक ख	स्कूलों के माध्यम से उपस्थित होने वाले छात्रों की श्रेणियाँ
अनुलग्नक ग	अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) जमा करने के लिए गतिविधियों का सार
अनुलग्नक घ	X और XII के लिए अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाइन भरने के लिए प्रक्रिया
अनुलग्नक ड.	तस्वीरों को स्कैन करने और अपलोड करने के चरण
अनुलग्नक च	कक्षा X अध्ययन योजना
अनुलग्नक छ	कक्षा X विषय सूची
अनुलग्नक ज	कक्षा X के लिए विषय संयोजन के उदाहरण
अनुलग्नक झ	कक्षा XII अध्ययन योजना
अनुलग्नक ञ	कक्षा XII के लिए विषय सूची
अनुलग्नक ट	कक्षा XII के लिए विषय संयोजन के उदाहरण

प्रति: वेब एडमिन को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

कक्षा X/XII 2023-24 की अभ्यर्थी सूची के लिए शुल्क विवरण					
शुल्क स्लैब	प्रति विद्यार्थी अदा किया जाने वाला परीक्षा शुल्क (भारतीय रुपए में)			एलओसी की प्रस्तुति की अनुसूची	शुल्क भुगतान के लिए अनुसूची
	भारत	नेपाल	अन्य देश		
	X और XII	X और XII	X और XII		
विलंब शुल्क रहित	*05 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी रुपए 1500/-	05 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी रुपए 5000/-	05 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी रुपए 10,000/-	18.08.2023 (शुक्रवार) से 18.09.2023 (सोमवार)	एलओसी डेटा को अंतिम रूप देने की तारीख + 4 दिन (चित्रण के अनुसार)
	प्रति विषय प्रति अभ्यर्थी अतिरिक्त विषयों के लिए रुपए 300/-	प्रति विषय प्रति अभ्यर्थी अतिरिक्त विषयों के लिए रुपए 1000/-	प्रति विषय प्रति अभ्यर्थी अतिरिक्त विषयों के लिए रुपए 2000/-		
	*रुपये 1200/- प्रति अभ्यर्थी 05 विषयों के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए				
विलंब शुल्क सहित	ऊपर निर्धारित सामान्य शुल्क के अतिरिक्त रुपये 2000/- प्रति अभ्यर्थी का विलंब शुल्क			19.09.2023 (मंगलवार) से 25.09.2023 (सोमवार)	एलओसी डेटा को अंतिम रूप देने की तारीख + 4 दिन (चित्रण के अनुसार)
प्रायोगिक शुल्क	केवल कक्षा XII के लिए भारत और नेपाल के स्कूलों के लिए रु. 150/- प्रति प्रायोगिक विषय प्रति अभ्यर्थी विदेशों में स्थित स्कूलों के लिए रु. 350/- प्रति प्रायोगिक विषय प्रति अभ्यर्थी				
प्रवास प्रमाणपत्र	रु. 350/- प्रति अभ्यर्थी				
दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को दसवीं/बारहवीं कक्षा के परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।					
शुल्क केवल सीबीएसई द्वारा निर्धारित ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन मोड में, बैंक खाते में सीधे जमा आदि से कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह शुल्क स्कूल खातों में अद्यतन नहीं किया जाएगा, परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा एलओसी स्वीकार नहीं की जाएगी।					

विलंब शुल्क की गणना के लिए उदाहरण

जिस तिथि को डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है उसे शुल्क गणना के लिए लिया जाता है
(क) यदि छात्रों के विवरण को 14.09.2023 को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है, स्कूल 18.09.2023 तक विलंब शुल्क के बिना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
(ख) यदि छात्रों के विवरण को 15.09.2023 को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है, स्कूल 19.09.2023 तक विलंब शुल्क के बिना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
(ग) यदि छात्रों के विवरण को 16.09.2023 को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है, स्कूल 20.09.2023 तक विलंब शुल्क के बिना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
(घ) यदि छात्रों के विवरण को 17.09.2023 को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है, स्कूल 21.09.2023 तक विलंब शुल्क के बिना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
(ङ) यदि छात्रों के विवरण को 18.09.2023 को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है, स्कूल 22.09.2023 तक विलंब शुल्क के बिना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
(च) विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण के लिए, पंजीकरण डेटा को अंतिम रूप देने की तारीख से +4 दिन उसी तरह लागू होंगे जैसा कि ऊपर (क) से (ङ) में दिया गया है।
यह ध्यान दें कि यदि छात्रों के पंजीकरण का डेटा को 18.09.2023 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया, तो विलंब शुल्क लागू होगा। डेटा को अंतिम रूप देने के बाद शुल्क जमा करने के लिए केवल +4 दिनों की समय सीमा उपलब्ध है। डेटा को अंतिम रूप देना छात्र पंजीकरण डेटा के प्रवेश/अपलोड के बाद की गतिविधि है।

शुल्क भुगतान विधि

(क)	<p>सीबीएसई द्वारा सभी गतिविधियों के लिए शुल्क केवल निम्नलिखित डिजिटल भुगतान माध्यमों द्वारा स्वीकार किया जाता है: -</p> <p>भारत में - डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / NEFT / RTGS/डिजिटल शुल्क वॉलेट*</p> <p>विदेश - डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / SWIFT/डिजिटल शुल्क वॉलेट*</p> <p>*डिजिटल शुल्क वॉलेट:-</p> <p>स्कूलों को शुल्क के निर्बाध भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए, सीबीएसई ने पहली बार शुल्क भुगतान के अतिरिक्त तरीकों में से एक के रूप में अपनी तरह की एक डिजिटल शुल्क वॉलेट प्रणाली शुरू की है। इसमें स्कूल अपने डिजिटल शुल्क वॉलेट खोल सकते हैं और भुगतान के साथ टॉप अप कर सकते हैं। डेटा को अंतिम रूप देने और स्कूलों द्वारा 'डिजिटल शुल्क वॉलेट' के रूप में शुल्क मोड के चयन के बाद आवश्यक शुल्क की स्वचालित रूप से कटौती हो जाएगी।</p> <p>शुल्क केवल सीबीएसई द्वारा निर्धारित ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन मोड, बैंक खाते में सीधे जमा आदि से कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह शुल्क स्कूल खातों में अद्यतन नहीं किया जाएगा, परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी सूची स्वीकार नहीं की जाएगी।</p>
(ख)	फीस के भुगतान से पहले, स्कूल चेक लिस्ट के रूप में एलओसी का प्रिंट ले सकते हैं। एक बार शुल्क का भुगतान करने के बाद, अंतिम एलओसी मुद्रित की जाएगी, और उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है।
(ग)	चूंकि स्विफ्ट अपडेशन में 2-3 दिन लग सकते हैं, इसलिए, भारत के बाहर स्थित स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क के भुगतान सहित अपनी प्रक्रिया को इस तरह से पूरा करें कि उनकी प्रक्रिया अंतिम तिथि से पहले समाप्त हो जाए।
(घ)	बैंक से संबंधित लेनदेन या सर्वर पर शुल्क अद्यतन न होने के मामले में, स्कूलों को संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था। बैंकों का संपर्क विवरण सीबीएसई की वेबसाइट पर दिया गया है। आमतौर पर, बैंक को शुल्क अद्यतन न होने के मामले को हल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे बैंक से संपर्क करने से पहले तैयार रखें: -
	(i) भुगतान का तरीका

- | |
|---|
| (ii) शुल्क संदर्भ संख्या
(iii) जमा की गई राशि
(iv) जमा करने की तिथि
(v) शाखा जहां राशि जमा की गई थी
(vi) बैंक संदर्भ संख्या (बैंक खाते में दर्शाई गई लेनदेन आईडी)
(vii) आपका संपर्क नंबर |
|---|

स्कूलों के माध्यम से उपस्थिति होने वाले छात्रों की श्रेणी	
<p>बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता के विभिन्न नियमों के आधार पर, छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह देखा गया है कि स्कूल एलओसी में गलत श्रेणियों का उल्लेख कर रहे हैं और इसलिए जब परिणाम घोषित किया जाता है, तो अभ्यर्थियों के परिणाम की गणना गलत तरीके से की जाती है। इसके बाद, स्कूल सीबीएसई से अनुरोध कर रहे हैं कि वह संबंधित अभ्यर्थी की श्रेणी में बदलाव करे और परिणाम भी ठीक करे।</p>	
<p>यह स्कूलों के ध्यान में लाया जाता है कि छात्रों की निम्नलिखित 03 श्रेणियां हैं जिनका उल्लेख स्कूलों द्वारा एलओसी में किया जाएगा -</p>	
(क)	<p>नियमित अभ्यर्थी - श्रेणी 'FS'</p> <p>जो छात्र स्कूल के वास्तविक नियमित छात्र हैं और पहली बार परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, उन्हें नियमित अभ्यर्थी कहा जाता है।</p>
(ख)	<p>अनुत्तीर्ण/अनिवार्य पुनरावृत्ति वाले अभ्यर्थी - श्रेणी ER</p> <p>(i) अभ्यर्थी जो पिछले वर्ष में उपस्थित हुए हैं और जिन्हें 'FAIL/ESSENTIAL REPEAT' घोषित किया गया है, वे निम्न अनुसार परीक्षा के लिए पुनः उपस्थित हो सकते हैं:-</p> <p>क. प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में (अलग एलओसी की शुरुआत में आवेदन करें)</p> <p>ख. स्कूल के माध्यम से एक नियमित अभ्यर्थी के रूप में (एलओसी नियमित अभ्यर्थियों के साथ जमा की जाएगी और स्कूल दसवीं/बारहवीं कक्षा में सीधे प्रवेश के लिए सीबीएसई से अनुमति लेगा, जैसा भी मामला हो)</p> <p>परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नियमित छात्र के रूप में विद्यालय में अध्ययनरत अभ्यर्थी अध्ययन योजना के अनुसार सभी विषयों में सम्मिलित होंगे और उन्हें अपनी उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करना होगा। वे प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आईए में भी उपस्थित होंगे।</p> <p>(ii) अभ्यर्थी जो पिछले वर्ष में उपस्थित हुए हैं और उन्हें 'कम्पार्टमेंट' घोषित किया गया है, वे संबंधित विषय की परीक्षा के लिए प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में पुनः उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी स्कूल के माध्यम से भी नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन सभी विषयों में जिनमें वे पिछले वर्ष उपस्थित हुए थे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नियमित छात्र के रूप में स्कूल में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को अपनी उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करना होगा। वे प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आईए में भी उपस्थित होंगे।</p>
(ग)	<p>प्रदर्शन में सुधार - श्रेणी 'I'</p> <p>पिछले वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी केवल उत्तरवर्ती वर्ष में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी स्कूल के माध्यम से नियमित अभ्यर्थी या प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए नियमित छात्र के रूप में स्कूल में पढ़ने वाले अभ्यर्थी उन सभी विषयों में शामिल होंगे जिनमें वे पिछले वर्ष में उपस्थित हुए थे और उन्हें अपनी उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करना होगा। उनके पिछले वर्ष के प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आईए अंक आगे बढ़ाए जाएंगे।</p>


X और XII अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) को प्रस्तुत करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों का सारांश		
विवरणों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए 1 से 12 तक निम्नलिखित चरणों का क्रम से पालन किया जाना है।		
चरण	अभ्यर्थियों की सूची के लिए गतिविधियां	गतिविधि की प्रकृति
1	OASIS पोर्टल पर डेटा का अद्यतन/प्रस्तुतीकरण	ऑनलाइन
2	एचपीई पोर्टल पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा डाटा प्रस्तुतीकरण	ऑनलाइन
3	एलओसी पोर्टल पर पंजीकरण	ऑनलाइन
4	लॉगिन	ऑनलाइन
5	पोर्टल से IX और XI के पिछले वर्ष पंजीकृत अभ्यर्थियों की जांच सूची का मुद्रण	ऑनलाइन
6	जांच सूची को जाँचना और जांच सूची पर सुधार अंकित करना (क) अभ्यर्थियों के विवरण में सुधार (ख) अभ्यर्थियों को शामिल करना : ➤ प्रदर्शन में सुधार के लिए ➤ कक्षा X/XII में अन्य स्कूलों से स्थानांतरण मामले/ नए प्रवेश ➤ वे जिन्होंने X/XII में उत्तीर्णता / अर्हता प्राप्त न की हो परन्तु नियमित अभ्यर्थी के रूप में सभी 5/6/7 विषयों में परीक्षा देने के इच्छुक हों (ग) अभ्यर्थियों को हटाना : ➤ अन्य स्कूलों को स्थानांतरण मामले, ➤ कक्षा IX/XI में अनुत्तीर्ण (घ) किसी अभ्यर्थी के फोटोग्राफ में किसी सुधार की आवश्यकता है या नहीं (ङ) अभ्यर्थी को प्रवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है या नहीं	मैनुअल
7	एलओसी पोर्टल पर जांच सूची में अंकित सुधार अद्यतन करना	ऑनलाइन
8	पोर्टल से IX और XI अभ्यर्थियों की सूची की जांच सूची मुद्रण	ऑनलाइन
9	फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना	ऑनलाइन
10	डाटा को अंतिम रूप से तैयार करना	ऑनलाइन
11	शुल्क भुगतान	ऑनलाइन
12	अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का मुद्रण	ऑनलाइन

X और XII के लिए अभ्यर्थियों की सूची को ऑनलाइन भरने के लिए प्रक्रिया													
क	लॉगिन : केवल पंजीकृत स्कूलों को लॉग-इन करने की अनुमति है।												
ख	<p>पोर्टल से पिछले वर्ष पंजीकृत अभ्यर्थियों की जांच सूची का मुद्रण अर्थात :</p> <p>(क) पिछले वर्ष कक्षा IX / कक्षा XI के समय पंजीकरण के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध होगा।</p> <p>(ख) इस सूची का शीर्षक होगा 'पिछले वर्ष पंजीकृत और कक्षा X/XII परीक्षाओं के लिए पात्र अभ्यर्थियों की जांच सूची'।</p> <p>(ग) स्कूल अभ्यर्थियों के उपलब्ध विवरण की सूची का प्रिंट लेगा। सभी तरह के हाशिए को 0.25 तक सेट करने के साथ लैंडस्केप प्रिंटिंग सहित ए4 आकार के लिए प्रिंटिंग सेटिंग तय की जाए।</p> <p>(घ) अगले चरण में जाने से पहले स्कूल इन 2 सूचियों का प्रिंट लेगा।</p>												
अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) के लिए अभ्यर्थियों के विवरण की जांच करना													
ग	<p>जांच सूची पर अंकित किए जाने वाले सुधार सहित जांच-सूची की जांच करना :</p> <p>(क) प्रिंट की गई जांच सूची में पिछले वर्ष IX/XI छात्रों का डाटा होगा जो अब X/XII में उपस्थित होंगे।</p> <p>(ख) स्कूल सूची में छात्र ब्यौरे की जांच मूल दाखिले और निकासी रजिस्टर (एडब्ल्यूआर), अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय कोड और विषय नाम से करेगा। जांचसूची में प्रिंट की गई अभ्यर्थी की फोटोग्राफ की भी जांच की जानी है। कोई भी सुधार/जोड़ना/हटाना, जांच सूची में अंकित किया जाना है।</p> <p>(ग) स्कूल सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी/माता/पिता, लिंग, श्रेणी, जन्मतिथि विषय इत्यादि के नामों में वर्तनी से संबंधित सभी सुधारों की जांच की गई है और उसे जांच सूची में अंकित किया गया है।</p> <p>(घ) यदि कुछ छात्रों को जोड़ने और कुछ छात्रों को हटाने की आवश्यकता है तो स्कूल को पहले छात्रों को हटाना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों को जोड़ने के लिए जगह बनेगी।</p>												
घ	<p>अभ्यर्थियों को हटाना:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">हटाने का कारण</th> <th>हटाने का कोड</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कक्षा IX/XI में अनिवार्य पुनरावृत्ति</td> <td>अनिवार्य पुनरावृत्ति</td> </tr> <tr> <td>आपके स्कूल से अन्य स्कूलों में स्थानांतरण</td> <td>स्थानांतरण</td> </tr> </tbody> </table> <p>ध्यान दें : सर्वर पर रिमार्क कॉलम में हटाने के लिए कोड के अनुसार हटाने का कारण अवश्य देना चाहिए। इन अभ्यर्थियों का विवरण अवश्य नोट किया जाना चाहिए।</p>	हटाने का कारण	हटाने का कोड	कक्षा IX/XI में अनिवार्य पुनरावृत्ति	अनिवार्य पुनरावृत्ति	आपके स्कूल से अन्य स्कूलों में स्थानांतरण	स्थानांतरण						
हटाने का कारण	हटाने का कोड												
कक्षा IX/XI में अनिवार्य पुनरावृत्ति	अनिवार्य पुनरावृत्ति												
आपके स्कूल से अन्य स्कूलों में स्थानांतरण	स्थानांतरण												
ड.	<p>अभ्यर्थियों को शामिल करना :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">शामिल करने का कारण</th> <th>शामिल करने का कोड</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नया प्रवेश-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>अन्य सीबीएसई संबद्ध स्कूलों से स्थानांतरण-</td> <td>स्थानांतरण</td> </tr> <tr> <td>उन स्कूलों से स्थानांतरण जो सीबीएसई से संबद्ध नहीं</td> <td>सीधे</td> </tr> <tr> <td>प्रदर्शन में सुधार-वह जिन्होंने X/XII में अर्हता/उत्तीर्णता प्राप्त की है और सभी विषयों में प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित होंगे</td> <td>सुधार</td> </tr> <tr> <td>वे जिन्होंने पहले कक्षा X/XII में अर्हता प्राप्त नहीं की और पुनः सभी विषयों को दोहरा कर नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होंगे</td> <td>अनिवार्य पुनरावृत्ति</td> </tr> </tbody> </table> <p>महत्वपूर्ण:</p> <p>(i) अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए स्कूल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमति लेगा।</p> <p>(ii) संबंधित स्कूल से पोर्टल पर अभ्यर्थियों की संख्या अद्यतन के पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय अनुमति</p>	शामिल करने का कारण	शामिल करने का कोड	नया प्रवेश-		अन्य सीबीएसई संबद्ध स्कूलों से स्थानांतरण-	स्थानांतरण	उन स्कूलों से स्थानांतरण जो सीबीएसई से संबद्ध नहीं	सीधे	प्रदर्शन में सुधार-वह जिन्होंने X/XII में अर्हता/उत्तीर्णता प्राप्त की है और सभी विषयों में प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित होंगे	सुधार	वे जिन्होंने पहले कक्षा X/XII में अर्हता प्राप्त नहीं की और पुनः सभी विषयों को दोहरा कर नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होंगे	अनिवार्य पुनरावृत्ति
शामिल करने का कारण	शामिल करने का कोड												
नया प्रवेश-													
अन्य सीबीएसई संबद्ध स्कूलों से स्थानांतरण-	स्थानांतरण												
उन स्कूलों से स्थानांतरण जो सीबीएसई से संबद्ध नहीं	सीधे												
प्रदर्शन में सुधार-वह जिन्होंने X/XII में अर्हता/उत्तीर्णता प्राप्त की है और सभी विषयों में प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित होंगे	सुधार												
वे जिन्होंने पहले कक्षा X/XII में अर्हता प्राप्त नहीं की और पुनः सभी विषयों को दोहरा कर नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होंगे	अनिवार्य पुनरावृत्ति												

	<p>देगा।</p> <p>(iii) पोर्टल पर रिमार्क कॉलम में शामिल करने के लिए कोड के अनुसार जोड़ने /शामिल करने का कारण अवश्य देना चाहिए। इन अभ्यर्थियों का विवरण अवश्य नोट करना चाहिए।</p>
च	<p>अभ्यर्थियों की फोटोग्राफ: यदि गलत हो अथवा साफ दिखाई न दे/ स्पष्ट न हो अथवा उपलब्ध न हो</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि जांच सूची में प्रिंट की गई फोटोग्राफ गलत अथवा धुंधली/पहचानने योग्य नहीं अथवा उपलब्ध नहीं है, स्कैनकृत फोटोग्राफ पुनः ऑनलाइन अपलोड की जानी है। फोटोग्राफ सफेद पृष्ठभूमि सहित उच्च कांट्रास्ट की होनी चाहिए (अधिमानत: पासपोर्ट आकार में सफेद और काले (रंग) में) फोटोग्राफ। फोटोग्राफ खींचने की तिथि सहित अभ्यर्थी का नाम फोटोग्राफ (फोटोग्राफ 01.04.2022 को या इसके बाद खींचा गया हो) पर अवश्य अंकित होना चाहिए। स्कैन किए गए फोटोग्राफ को फोटोग्राफ के फाइलनाम के रूप में पंजीकरण संख्या के साथ जेपीजी प्रारूप में संग्रहित किया जाना चाहिए। पंजीकरण संख्या चेक लिस्ट में अभ्यर्थी के विवरण के समक्ष मुद्रित है। उदाहरणतः यदि अनिल कुमार का फोटोग्राफ (जिसका पंजीकरण क्रमांक A119/03001/0057 है) गलत है या साफ दिखाई नहीं देता/ स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है। अनिल कुमार के फोटोग्राफ को स्कैन करके A119030010057.jpg के रूप में संग्रहित किया जाना चाहिए। "फोटोग्राफ अपलोड करना" विकल्प का उपयोग करके फोटोग्राफ अपलोड किए जाएं।
छ	<p>चेक सूची में चिह्नित सुधार पोर्टल पर किए जाने हैं:-</p> <p>फोटोग्राफ अपलोड करने सहित चिह्नित सुधार सीबीएसई वेबसाइट से जुड़े कंप्यूटर/लैपटॉप पर टाइप करके "फोटोग्राफ सहित अभ्यर्थियों के विवरण में सुधार, यदि कोई हो" विकल्प चुनकर किए जाने चाहिए।</p>
ज	<p>फोटोग्राफ सहित अभ्यर्थी के विवरण में सुधार, यदि कोई हो:</p> <p>इस गतिविधि में तीन विकल्प हैं आशोधन/सुधार करें, जोड़ें और हटाएं। चेक लिस्ट में चिह्नित सुधार सर्वर पर निम्नानुसार किए जा सकते हैं:</p>
	<p>(i) सुधार करने के लिए आशोधन /सुधार करना:</p> <p>यहाँ दो विकल्प हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी के नाम/ विषय में अन्य विवरण में व्यक्तिगत सुधार करने के लिए: अभ्यर्थी के पहले से प्रस्तुत विवरण में सुधार किया जा सकता है। चेक लिस्ट में अभ्यर्थी के विवरण के सामने मुद्रित क्रमांक टाइप किया जाए और अभ्यर्थी का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। विशिष्ट विवरण के समक्ष आवश्यक सुधार/आशोधन टाइप किया जा सकता है। प्रवास प्रमाणपत्र के लिए बड़े पैमाने पर सुधार (एक समय में एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए सुधार) करना।
	<p>(ii) जोड़ें : किसी भी छूटे हुए अभ्यर्थियों/ नए प्रवेश के विवरण जोड़ने के लिए।</p>
	<p>(iii) हटाएं : सूची से अभ्यर्थी के पहले से उपलब्ध विवरण को हटाने के लिए।</p> <ul style="list-style-type: none"> जांच सूची पर मुद्रित अभ्यर्थी की क्रम संख्या दर्ज करें और अभ्यर्थी का विवरण प्रदर्शित होगा। विवरण हटाने के लिए 'हटाएं' बटन दबाएं एक बार हटाए गए विवरण को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो "जोड़ें" विकल्प का उपयोग करके पुनः दर्ज करना होगा।

झ	<p>“फोटोग्राफ के साथ अभ्यर्थी सूची (एलओसी) की चेकलिस्ट प्रिंटिंग” का विकल्प चुनकर पुनः अभ्यर्थियों की सूची की चेक लिस्ट प्रिंट करें।</p>
	<p>सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी अभ्यर्थियों के विवरण में किए गए सुधारों / परिवर्धन पर कड़ी नजर रखेंगे। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि कक्षा IX/XI में पहले से पंजीकृत वास्तविक अभ्यर्थियों को ही कक्षा X/XII की एलओसी में प्रायोजित किया गया है। सुधार करते समय स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि X/XII में प्रायोजित अभ्यर्थी की अदला-बदली कक्षा IX/XI में पंजीकृत किसी अन्य अभ्यर्थी से नहीं की गई है। विषयों में सुधार करते समय (जहां IX/XI से विषय का परिवर्तन शामिल है) स्कूलों को सीबीएसई का अनुमोदन सुनिश्चित करना चाहिए। X/XII में सीधे प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अभ्यर्थियों को जोड़ते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीबीएसई का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। यदि इस तरह के जोड़/ सुधार सीबीएसई से अपेक्षित अनुमोदन से समर्थित नहीं हैं, तो इस तरह के कदाचार में शामिल स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के अलावा ऐसे छात्रों की X/XII बोर्ड परीक्षा में अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है।</p>
ज	<p>फोटोग्राफ अपलोड करना</p> <p>यदि अनिल कुमार का फोटोग्राफ गलत है या साफ दिखाई नहीं देता/स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है जिसका पंजीकरण क्रमांक A119/03001/0057 है। A11930010057.jpg के रूप में स्कैन और संग्रहित अनिल कुमार के फोटोग्राफ को निम्नानुसार अपलोड किया जाना है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • चेक लिस्ट पर मुद्रित अभ्यर्थी की क्रम संख्या दर्ज की जाए और अभ्यर्थी का विवरण और फोटोग्राफ, यदि सर्वर में उपलब्ध हो तो, प्रदर्शित होते हैं। • स्कूल के कंप्यूटर में संगृहीत इस अभ्यर्थी के फोटो को चुनकर इस अभ्यर्थी के फोटो अपलोड किए जाएं।
ट	<p>फोटोग्राफ के साथ अभ्यर्थी सूची (एलओसी) की चेक लिस्ट प्रिंटिंग:</p> <p>(i) स्कूल के कंप्यूटर से जुड़े एक प्रिंटर का उपयोग करके स्कूल "फोटोग्राफ के साथ अभ्यर्थी सूची (एलओसी) की चेकलिस्ट प्रिंटिंग" का चयन करके अभ्यर्थियों के प्रस्तुत विवरण की एक सूची प्रिंट करेंगे।</p> <p>(ii) प्रिंटर सेटिंग्स को A4 आकार के पेपर के लिए लैंडस्केप प्रिंटिंग के साथ सभी ओर 0.25" के हाशिए पर सेट किया जा सकता है।</p> <p>(iii) इस सूची का शीर्षक होगा 'कक्षा _ की एलओसी के लिए अभ्यर्थियों की जांच सूची'</p>
ठ	<p>डेटा को अंतिम रूप से तैयार करना (सुनिश्चित करें कि अंतिम रूप देने से पहले सभी सुधार किए गए हैं):</p> <p>(i) जब सभी सुधार किए जा चुके हों और सूची त्रुटि मुक्त हो, तो डेटा को अंतिम रूप दिया जा सकता है। डेटा को अंतिम रूप देने का मतलब है कि अब तक जमा किए गए डेटा में कोई सुधार/हटाना/जोड़ना नहीं है यानी प्रस्तुत किए गए डेटा को त्रुटि मुक्त और अंतिम माना जाएगा।</p> <p>(ii) शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क लागू होगा अर्थात जिस तिथि को डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है उसे शुल्क गणना के उद्देश्य से लिया जाता है।</p> <p>(iii) डेटा को अंतिम रूप देने के बाद, और अभ्यर्थियों को जोड़ना संभव है बशर्ते विवरण जमा करने की तिथि समय सारिणी के भीतर हो और शुल्क का भुगतान शुल्क अनुसूची के अनुसार करना होगा।</p>
ड	<p>अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का मुद्रण (एलओसी):</p> <p>(i) स्कूल अभ्यर्थियों की जमा की गई अंतिम सूची का प्रिंट आउट ले लेंगे। अंतिम सूची में अभ्यर्थियों के विवरण को प्रिंट करने का प्रावधान है। शुल्क विवरण जमा किए बिना अंतिम सूची उत्पन्न नहीं की जा सकती है।</p> <p>(ii) नाम, पिता का नाम, माता का नाम सही होने की पुष्टि करने के लिए स्कूल माता के हस्ताक्षर,</p>

<p>पिता के हस्ताक्षर और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।</p> <p>(iii) इस सूची का शीर्षक ' कक्षा ---- के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची' होगा।</p> <p>(iv) प्रिंटर सेटिंग्स को A4 आकार के पेपर के लिए लैंडस्केप प्रिंटिंग के साथ सभी ओर से 0.25" के हाशिए पर तय किया जा सकता है।</p> <p>(v) अंतिम सूची में अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर प्राप्त करें।</p>

फोटोग्राफ की स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए चरण	
फोटो का प्रकार	
(क)	<p>(i) कोई पिक्सेल न दिखाई दे, इसके लिए फोटो पूर्ण रंग में और उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।</p> <p>(ii) फोटो पिछले 6 महीनों में लिया गया होना चाहिए।</p> <p>(iii) सिर सीधे कैमरे के सामने होना चाहिए, यह केंद्रित हो और 80% छवि निर्मित करता हो। फोटो बालों के थोड़ा ऊपर से छाती के मध्य भाग तक खींची हुई होनी चाहिए।</p> <p>(iv) एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति रखें - मुस्कुराया जा सकता है।</p> <p>(v) व्यक्ति (अभ्यर्थी) स्पष्ट फोकस में हो और पृष्ठभूमि से अलग दिखाई दे। सॉलिड कलर की पृष्ठभूमि सर्वोत्तम होती है।</p> <p>(vi) आंखें खुली रखनी चाहिए और कैमरे को देखना चाहिए। चश्मे को रंगा नहीं जाना चाहिए जब तक कि इसे चिकित्सा प्रयोजनों के लिए दैनिक रूप से न पहना जाए।</p> <p>(vii) व्यक्ति का पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।</p>
	
<p>फोटो अपलोड करने की विधि</p> <p>पंजीकरण/एलओसी पोर्टल में फोटोग्राफ अपलोड करने के दो तरीके हैं:</p>	
(ख)	<p>एकल फोटो स्कैनिंग विधि</p> <p>(i) अभ्यर्थी की फोटोग्राफ को स्कैन करें और इसे एक jpg फाइल के रूप में संचित करें</p> <p>(ii) कृपया सुनिश्चित करें कि फोटो का साइज़ पासपोर्ट आकार का है, व 40 केबी की सीमा के भीतर है</p> <p>(iii) अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या के साथ फोटोग्राफ संचित करें / सहेजें</p> <p>(iv) सभी फोटोग्राफ को एक फोल्डर में इकट्ठा करें</p> <p>(v) सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण/एलओसी पोर्टल में लॉगिन करें</p> <p>(vi) फोटो अपलोड विकल्प पर जाएं</p> <p>(vii) उस कक्षा का चयन करें जिसके लिए फोटोग्राफ अपलोड किया जाना है और सूची उत्पन्न करें/बनाएं</p> <p>(viii) प्रत्येक अभ्यर्थी के सामने दिए गए ब्राउज बटन पर क्लिक करें</p> <p>(ix) फोल्डर से फोटोग्राफ का चयन करें और अपलोड बटन पर क्लिक करें</p> <p>(x) उपरोक्त चरण को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी तस्वीरें अपलोड न हो जाएं</p>
(ग)	<p>एकाधिक फोटो स्कैनिंग विधि</p> <p>(i) सुनिश्चित करें कि सभी फोटोग्राफ समान आकार की हैं</p> <p>(ii) सादे कागज पर बॉक्स (एक पंक्ति में 04 या 05 फोटो के लिए) बनाएं और बॉक्स में फोटो चिपकाएँ और पृष्ठ को स्कैन करें।</p> <p>(iii) अब स्कैन की हुई jpg फाइल को फोटोशॉप/पेंट या किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में खोलें</p> <p>(iv) पूरी छवि को 1500x1200 पिक्सल में पुनः आकार दें</p> <p>(v) इमेज सिलेक्शन टूल द्वारा स्कैन की गई इमेज में से एक अभ्यर्थी का फोटो चुनें और इसे Ctrl+C का उपयोग करके कॉपी करें</p> <p>(vi) इमेज एडिटर में एक नई फाइल खोलें और चयनित फोटोग्राफ पेस्ट करें</p> <p>(vii) नई फाइल को फोटोग्राफ फोल्डर में jpg फाइल के रूप में संचित करें। अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या पर इस फाइल को नाम दें।</p>

	<p>(viii) शीट में उपलब्ध सभी फोटोग्राफ के लिए इस चरण को दोहराएं।</p> <p>(ix) सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन/एलओसी पोर्टल में लॉग-इन करें</p> <p>(x) फोटो अपलोड विकल्प पर जाएं</p> <p>(xi) उस कक्षा का चयन करें जिसके लिए फोटोग्राफ अपलोड किया जाना है और सूची तैयार/उत्पन्न करें</p> <p>(xii) प्रत्येक अभ्यर्थी के सामने दिए गए ब्राउज बटन पर क्लिक करें</p> <p>(xiii) फोल्डर से फोटोग्राफ का चयन करें और अपलोड बटन पर क्लिक करें</p> <p>(xiv) उपरोक्त चरण को दोहराएं जब तक कि सभी तस्वीरें अपलोड न हो जाएं</p>
ध्यान दें:-	<p>(क) यह जांचने के लिए कि सभी तस्वीरें सही ढंग से अपलोड की गई हैं, आप फोटोग्राफ के साथ चेक लिस्ट तैयार कर सकते हैं</p> <p>(ख) सुधार के मामले में, आप फोटोग्राफ पुनः अपलोड कर सकते हैं</p> <p>(ग) फोटो को डेटा को अंतिम रूप दिए जाने तक बदला जा सकता है</p> <p>(घ) अंतिम रूप देने के बाद फोटोग्राफ नहीं बदली जा सकती है।</p>

अध्ययन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा X)
2023-2024

कक्षा IX और X एक एकीकृत कोर्स है। छात्र दसवीं कक्षा में केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे जो उन्होंने कक्षा-नौवीं में पढ़े हैं। छात्र न्यूनतम 5 विषयों की पेशकश निम्नानुसार कर सकते हैं:-

विषय		विषय का नाम	
अनिवार्य	विषय - 1	भाषा I (ग्रुप एल) (हिंदी-ए या हिंदी-बी या अंग्रेजी भाषा और साहित्य या अंग्रेजी (कम्.))	
	विषय - 2	भाषा II विषय 1 पर चुनी हुई भाषा से अलग भाषाओं के समूह (ग्रुप एल) से कोई एक	
	विषय - 3	गणित स्टैन्डर्ड या गणित बेसिक	(ग्रुप -ए 1)
	विषय - 4	विज्ञान	
	विषय - 5	सामाजिक विज्ञान	
अतिरिक्त विषय वैकल्पिक	विषय - 6	कौशल विषय (कौशल विषयों के समूह से) (ग्रुप-S)	
	विषय - 7	भाषा III (ग्रुप-एल) /उपर्युक्त लिए गए विकल्प से अलग कोई शैक्षणिक विषय (ग्रुप-ए 2)	
आंतरिक आकलन के विषय	विषय - 8 और 9	कला शिक्षा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (स्कूल स्तर पर आकलन और प्रमाणन)	

महत्वपूर्ण निर्देश :-

(क)	यदि कोई छात्र तीन अनिवार्य शैक्षणिक विषयों (अर्थात विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान) में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है और कौशल विषय (छठे वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तावित) में उत्तीर्ण हो जाता है, तो उस विशेष अनिवार्य विषय को कौशल विषय से बदल दिया जाएगा और दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम की संगणना तदनुसार की जाएगी।
(ख)	यदि कोई छात्र पहले पांच विषयों में से किसी भी भाषा विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे सातवें विषय (वैकल्पिक) के रूप में ली गई भाषा से बदल दिया जाएगा, बशर्ते उसने सातवां भाषा विषय उत्तीर्ण किया हो, और प्रतिस्थापन के बाद हिंदी या अंग्रेजी पहले पांच विषयों में उत्तीर्ण भाषा के रूप में बनी रहती है।
(ग)	यह अपेक्षा की जाती है कि सभी छात्रों ने आठवीं कक्षा तक तीन भाषाओं का अध्ययन किया होगा। वे छात्र जो आठवीं कक्षा में तीसरी भाषा को उत्तीर्ण नहीं कर सके और नौवीं कक्षा में प्रोन्नत हो गए हैं, उनका संबंधित स्कूलों द्वारा कक्षा IX के अंत में उसी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में परीक्षण किया जाएगा जोकि कक्षा आठवीं के लिए निर्धारित हैं। जो अभ्यर्थी अभी भी नौवीं कक्षा के अंत में तीसरी भाषा को उत्तीर्ण करने में असमर्थ हैं, उन्हें दसवीं कक्षा में एक और अवसर दिया जा सकता है।
(घ)	हिंदी या अंग्रेजी कक्षा IX और X में अध्ययन की जाने वाली दो भाषाओं में से एक होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी एक साथ भी पेश की जा सकती हैं। छात्रों की अलग-अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, हिंदी में कक्षा IX और X के लिए दो पाठ्यक्रम प्रदान किए गए हैं और एक छात्र या तो हिंदी A (कोड 002) या हिंदी B (कोड 085) का विकल्प ले सकता है।

(ड.)	अतिरिक्त छठे कौशल विषय को लेने वाले छात्र 7वें विषय के रूप में एक अतिरिक्त भाषा III/विषय भी ले सकते हैं।
च	जहां कहीं सीबीएसई द्वारा अभ्यर्थियों की संख्या प्रतिबंधित की गई है, स्कूल अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी सीमा से अधिक नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में, यदि आवश्यक हो, तो उचित प्रक्रिया अपनाकर सम्बद्धता इकाई से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
छ	बोर्ड ने अध्ययन योजना निर्धारित की है जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए http://cbseacademic.nic.in लिंक पर पाठ्यक्रम में उपलब्ध है। स्कूलों को केवल अध्ययन योजना के अनुवर्तन में विषयों की पेशकश (बोर्ड की अनुमति के अधीन) करना आवश्यक है।
ज	बोर्ड प्रत्येक विषय में अलग से प्राप्त अंकों को इंगित करते हुए अंक पत्रक सह प्रमाण पत्र जारी करता है। बोर्ड द्वारा कुल स्कोर/प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया है। अभ्यर्थी जो 6/7 विषय लेते हैं और सभी 6/7 विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, प्रतिशत की गणना उस महाविद्यालय/ संस्थान के मानदंडों के अनुसार की जाती है जिसमें अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है।
झ	यह अतीत में देखा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा लिए गए विषयों और स्कूल में पढ़ाए जा रहे विषयों में भिन्नता है। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में विषय कोड और विषय के नाम की सावधानीपूर्वक जांच अवश्य की जानी चाहिए।
ञ	यदि अध्ययन योजना का उल्लंघन होता है, तो अपलोड किया गया डेटा अपलोड करने के बाद सर्वर पर त्रुटि दिखाएगा। सही विषय संयोजन चुनने के बाद ही त्रुटि सुधार किया जाएगा।

विषय सूची कक्षा- X (2023-24)				
क्र.सं.	कक्षा	विषय	उप विषय	
भाषा (ग्रुप - एल)				
1	10	002	हिंदी कोर्स - ए	कोई एक
2	10	085	हिंदी कोर्स - बी	
3	10	101	अंग्रेजी (कम्यूनकेटिव)	कोई एक
4	10	184	अंग्रेजी (भाषा और साहित्य)	
5	10	003	उर्दू कोर्स - ए	कोई एक
6	10	303	उर्दू कोर्स - बी	
7	10	004	पंजाबी	
8	10	005	बंगाली	
9	10	006	तमिल	
10	10	007	तेलगु	कोई एक
11	10	089	तेलगु - तेलंगाना	
12	10	008	सिंधी	
13	10	009	मराठी	
14	10	010	गुजराती	
15	10	011	मणिपुरी	
16	10	012	मलयालम	
17	10	013	उड़िया	
18	10	014	असमिया	
19	10	015	कन्नड़	
20	10	016	अरबी	
21	10	017	तिब्बती	
22	10	018	फ्रेंच	
23	10	020	जर्मन	
24	10	021	रूसी	
25	10	023	पर्सियन	
26	10	024	नेपाली	
27	10	025	लिंबु	
28	10	026	लेपचा	
29	10	091	कॉकबोरोक	
30	10	092	बोडो	
31	10	093	तांगखुल	
32	10	094	जापानी	
33	10	095	भूटिया	
34	10	096	स्पेनिश	
35	10	097	कश्मीरी	

36	10	098	मिज़ो	
37	10	099	बहासा मेलायु	
38	10	119	संस्कृत (कम्प्यूनकेटिव)	कोई एक
39	10	122	संस्कृत	
40	10	131	राय	
41	10	132	गुरांग	
42	10	133	तमांग	
43	10	134	शेरपा	
44	10	136	थाई	
अनिवार्य शैक्षणिक विषय (ग्रुप - ए1)				
45	10	041	गणित स्टैन्डर्ड	कोई एक
46	10	241	गणित बेसिक	
47	10	086	विज्ञान	
48	10	087	सामाजिक विज्ञान	
अन्य शैक्षणिक विषय (ग्रुप - ए2)				
49	10	031	कर. संगीत (वाँकल)	कोई एक
50	10	032	कर. संगीत मेल. इन्स	
51	10	033	कर. संगीत पर. इन्स	
52	10	034	हिंदी संगीत (वाँकल)	
53	10	035	हिंदी संगीत मेल. इन्स.	
54	10	036	हिंदी संगीत पर. इन्स.	
55	10	049	पेंटिंग	
56	10	064	गृह विज्ञान	
57	10	076	नेशनल कडेट कॉर्पस (एनसीसी)	
58	10	154	एलीमेंट्स ऑफ बिजनेस	कोई एक
59	10	254	एलीमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड एकाउंट	
60	10	165	कंप्यूटर एप्लीकेशन	ग्रुप-एस के 402/417 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
कौशल विषय (ग्रुप - एस)				
61	10	401	रिटेल	
62	10	403	सिक्युरिटी	
63	10	402	सूचना प्रौद्योगिकी	कोई एक और ग्रुप - ए2 के 165 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
64	10	417	आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस	
65	10	404	ऑटोमोटिव	
66	10	405	इन्ट्रोडक्शन टू फाइनेन्शल मार्केट	
67	10	406	इन्ट्रोडक्शन टू टूरिज़म	
68	10	407	ब्यूटी एंड वेलनेस	

69	10	408	एग्रीकल्चर	
70	10	409	खाद्य उत्पादन	
71	10	410	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स	
72	10	411	बैंकिंग एण्ड इन्शुरेंस	
73	10	412	मार्केटिंग एंड सेलज़	
74	10	413	हेल्थ केयर	
75	10	414	अपैरल	
76	10	415	मल्टीमीडिया	
77	10	416	मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स	
78	10	418	फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर	
79	10	419	डेटा साइंस	
80	10	420	एलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (नया)	
81	10	421	फाउंडेशन स्किल फॉर साइंस (नया) (फार्मसूटिकल एंड बायोटेक्नोलोजी)	
82	10	422	डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन(नया)	

विषयों का पूर्ण विवरण वेबलिंक : https://cbseacademic.nic.in/curriculum_2024.html पर उपलब्ध है।

कक्षा X के लिए विषय संयोजन के उदाहरण	
मान्य विषय संयोजन	
मामला 1 विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य विषय 2: 085 हिंदी कोर्स - बी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 401 रिटेल विषय 7: 006 तमिल	मामला 4 विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य विषय 2: 002 हिंदी कोर्स -ए विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: विषय 7: 122 संस्कृत
मामला 2 विषय 1: 002 हिंदी कोर्स -ए विषय 2: 009 मराठी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 403 सिन्क्युरिटी विषय 7: 004 पंजाबी	मामला 5 विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य विषय 2: 006 तमिल विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान
मामला 3 विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य विषय 2: 002 हिंदी कोर्स -ए विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान	
अमान्य विषय संयोजन	
मामला 1 विषय 1: 002 हिंदी कोर्स ए विषय 2: 004 पंजाबी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 402 सूचना प्रौद्योगिकी विषय 7: 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन } अमान्य	मामला 3 विषय 1: 002 हिंदी कोर्स ए विषय 2: 021 रूसी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 401 रिटेल विषय 7: 404 ऑटोमोटिव } अमान्य
मामला 2 विषय 1: 018 फ्रेंच विषय 2: 006 तमिल } अमान्य विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान	

अध्ययन योजना		
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा XII)		
2022-2023		
ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा एक एकीकृत पाठ्यक्रम है। छात्र बारहवीं कक्षा में केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे, जो उन्होंने कक्षा-XI में पढ़े हैं। छात्र न्यूनतम 5 विषयों की पेशकश निम्नानुसार कर सकते हैं: -		
विषय	विषय का नाम	
अनिवार्य	विषय 1	हिंदी इलेक्टिव या हिन्दी कोर अथवा अंग्रेजी इलेक्टिव या अंग्रेजी कोर
	विषय 2	विषय 1 के रूप में नहीं चुने गए विषय गुप - एल से कोई एक भाषा या शैक्षणिक इलेक्टिव विषयों (गुप-ए) में से कोई एक विषय
	विषय 3, विषय 4 व विषय 5	शैक्षणिक इलेक्टिव विषयों (गुप-ए) में से कोई तीन विषय या स्किल गुप-S से कोई तीन विषय या गुप- ए और गुप-S के संयोजन में से कोई तीन विषय।
अतिरिक्त विषय वैकल्पिक	विषय - 6	ऊपर नहीं चुने गए किसी भी विषय गुप में से कोई एक विषय
आंतरिक आकलन के विषय	विषय 7 से 9 (सभी नियमित अभ्यर्थियों द्वारा लिए जाने वाले)	500 - कार्य अनुभव 502 - स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 503 - सामान्य अध्ययन
महत्वपूर्ण निर्देश:-		
(क)	ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली दो भाषाओं में से एक हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी एक साथ भी पेश की जा सकती हैं। छात्रों की अलग-अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए हिंदी और अंग्रेजी में दो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और छात्र या तो हिंदी इलेक्टिव (कोड 002) या हिंदी कोर (कोड 302) और अंग्रेजी इलेक्टिव (कोड - 01) या अंग्रेजी कोर (कोड -301) का विकल्प चुन सकते हैं। हालाँकि, कोर और वैकल्पिक दोनों स्तरों पर एक ही भाषा की पेशकश नहीं की जा सकती है।	
(ख)	ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली/मार्क शीट में विषयों को भरने के कालानुक्रमिक क्रम में पहले 5 विषयों को मुख्य विषय माना जाता है।	
(ग)	यदि किसी छात्र ने 6 विषय लिए हैं, और यदि वह पहले पांच विषयों में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे छठे विषय से बदल दिया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी अध्ययन योजना को पूरा करता हो अर्थात् छठे विषय के प्रतिस्थापन के बाद, हिंदी या अंग्रेजी मुख्य पांच विषयों में से एक के रूप में बनी हुई है।	
(घ)	अभ्यर्थी, जो 6 विषय (5 मुख्य और 1 अतिरिक्त विषय) लेते हैं और सभी 6 विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, प्रतिशत की गणना उस नियोक्ता/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान/विश्वविद्यालय/नियोक्ता के मानदंडों के अनुसार की जाएगी जहां अभ्यर्थी प्रवेश/रोजगार चाहता होगा। सीबीएसई प्रतिशत की गणना नहीं करता और न ही उपलब्ध कराता है।	
(ड.)	स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को केवल उन्हीं विषयों की पेशकश की जा सकती है, जिनके लिए सीबीएसई	

	का अनुमोदन लिया गया है।
(च)	बोर्ड ने अध्ययन योजना निर्धारित की है जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए http://cbseacademic.nic.in लिंक पर पाठ्यक्रम में उपलब्ध है। स्कूलों को केवल अध्ययन योजना के अनुवर्तन में विषयों की पेशकश करना आवश्यक है (बोर्ड से अनुमति मिलने के अधीन)।
(छ)	सीबीएसई के पास स्ट्रीम की अवधारणा नहीं है। छात्र उपरोक्त योजना के अनुसार पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध और संबंधित स्कूल में उपलब्ध विषयों में से 5/6 विषय ले सकते हैं। स्कूल अपने प्रबंधन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार छात्रों को प्रवेश देते हैं।

*सीडब्ल्यूएसएन अभ्यर्थियों को रियायतों के लिए, कृपया रूपरेखा और महत्वपूर्ण दिशानिर्देश देखें।

विषय सूची कक्षा - XII (2023-24)				
भाषा (ग्रुप - एल)				
क्र.सं.	कक्षा	विषय	उप विषय	
1	12	001	अंग्रेजी इलेक्टिव	कोई एक
2	12	301	अंग्रेजी कोर	
3	12	002	हिंदी इलेक्टिव	कोई एक
4	12	302	हिंदी कोर	
5	12	003	उर्दू इलेक्टिव	कोई एक
6	12	303	उर्दू कोर	
7	12	022	संस्कृत इलेक्टिव	कोई एक
8	12	322	संस्कृत कोर	
9	12	104	पंजाबी	
10	12	105	बंगाली	
11	12	106	तमिल	
12	12	107	तेलगु	कोई एक
13	12	189	तेलुगु तेलंगाना	
14	12	108	सिंधी	
15	12	109	मराठी	
16	12	110	गुजराती	
17	12	111	मणिपुरी	
18	12	112	मलयालम	
19	12	113	उड़िया	
20	12	114	असमिया	
21	12	115	कन्नड़	
22	12	116	अरबी	
23	12	117	तिब्बती	
24	12	118	फ्रेंच	
25	12	120	जर्मन	
26	12	121	रूसी	
27	12	123	पर्शियन	
28	12	124	नेपाली	
29	12	125	लिंबु	
30	12	126	लेपचा	
31	12	191	कॉकबोरोक	
32	12	192	बोडो	
33	12	193	तांगखुल	
34	12	194	जापानी	
35	12	195	भूटिया	

36	12	196	स्पेनिश	
37	12	197	कश्मीरी	
38	12	198	मिज़ो	
शैक्षणिक इलेक्टिव (ग्रुप - ए)				
क्र.सं.	कक्षा	विषय	उप विषय	
39	12	027	इतिहास	
40	12	028	राजनीति विज्ञान	
41	12	029	भूगोल	
42	12	030	अर्थशास्त्र	
43	12	031	कर. संगीत वॉकल	कोई एक
44	12	032	कर. संगीत मेल. इन्स.	
45	12	033	कर. संगीत पर. इन्स मृदंगम	
46	12	034	हिंदी संगीत वॉकल	
47	12	035	हिंदी संगीत मेल. इन्स.	
48	12	036	हिंदी पर. इन्स.	
49	12	037	मनोविज्ञान	
50	12	039	समाजशास्त्र	
51	12	041	गणित	कोई एक
52	12	241	अनुप्रयुक्त गणित	
53	12	042	भौतिकी	
54	12	043	रसायन शास्त्र	
55	12	044	जीव विज्ञान	
56	12	045	जैव प्रौद्योगिकी	
57	12	046	इंजीनीरिंग ग्राफिक्स	
58	12	048	शारीरिक शिक्षा	
59	12	049	पेंटिंग	कोई एक
60	12	050	ग्राफिक्स	
61	12	051	स्कल्पचर	
62	12	052	एप्प/कॉमर्शियल आर्ट	
63	12	054	बिजनेस स्टडीज	ग्रुप - एस के 833 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
64	12	055	एकाउंटेंन्सी	
65	12	056	कथक - नृत्य	कोई एक
66	12	057	भरतनाट्यम - नृत्य	
67	12	058	कुचिपुड़ी - नृत्य	
68	12	059	ओडिसी - नृत्य	
69	12	060	मणिपुरी - नृत्य	
70	12	061	कथकली - नृत्य	
71	12	064	गृह विज्ञान	
72	12	065	इंफोरमटिक्स प्रैक्टिस	कोई एक तथा ग्रुप

73	12	083	कंप्यूटर साइंस	- एस के 802 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
74	12	066	उद्यमिता	
75	12	073	नॉलेज ट्रेडिशन एवं प्रक्टिसेज ऑफ इंडिया	
76	12	074	विधि अध्ययन	
77	12	076	नेशनल कडेट कॉर्पस (एनसीसी)	
कौशल इलेक्टिव (ग्रुप - एस)				
क्रमांक	कक्षा	विषय	उप विषय	
78	12	801	रिटेल	
79	12	802	सूचना प्रौद्योगिकी	ग्रुप - ए के 065/083 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
80	12	803	वेब एप्लीकेशन	
81	12	804	ऑटोमोटिव	
82	12	805	फाइनेन्शल मार्केट मैनेजमेंट	
83	12	806	टूरिज़्म	
84	12	807	ब्यूटी एंड वेलनेस	
85	12	808	एग्रीकल्चर	
86	12	809	फूड प्रोडक्शन	
87	12	810	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स	
88	12	811	बैंकिंग	
89	12	812	मार्केटिंग	
90	12	813	हेल्थ केयर	
91	12	814	इन्शुरेंस	
92	12	816	होर्टिकल्चर	
93	12	817	टाइपाग्राफी एंड कंप्यूटर अनुप्रयोग	
94	12	818	जिओसपेशियल प्रौद्योगिकी	
95	12	819	इलेक्ट्रिकल प्रौद्योगिकी	
96	12	820	इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी	
97	12	821	मल्टीमीडिया	
98	12	822	टैक्सेशन	
99	12	823	कोस्ट एकाउंटिंग	
100	12	824	ऑफिस प्रोसेजर एंड प्रेक्टिसेज	
101	12	825	शॉर्टहैंड (अंग्रेजी)	
102	12	826	शॉर्टहैंड (हिंदी)	
103	12	827	एयर-कंडीशन एंड रेफ्रीजरेशन	
104	12	828	मेडिकल डायग्नोस्टिक्स	

105	12	829	टेक्सटाइल डिजाइन	
106	12	830	डिजाइन	
107	12	831	सेल्जमैनशिप	
108	12	833	बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	ग्रुप - ए के 054 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
109	12	834	फूड न्यूट्रीशन एंड डाइटेटिक्स	
110	12	835	मास मीडिया स्टडीज	
111	12	836	लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस	
112	12	837	फैशन स्टडीज	
113	12	841	योग	
114	12	842	अर्ली चाइल्डहूड केयर एंड एडयूकेशन	
115	12	843	आर्टिफिसिअल इंटेलीजेंस	
116	12	844	डेटा साइंस	
117	12	845	शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक (नया)	
118	12	846	लैंड ट्रांसपोर्टेशन असोसिएट (नया)	
119	12	847	एलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (नया)	
120	12	848	डिजाइन थिंकिंग एण्ड इनोवेशन (नया)	
विषयों का पूर्ण विवरण वेबलिनक : https://cbseacademic.nic.in/curriculum_2024.html पर उपलब्ध है।				

कक्षा XII के लिए विषय संयोजन के उदाहरण	
मान्य विषय संयोजन	
मामला 1 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 041 गणित विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 048 शारीरिक शिक्षा	मामला 5 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 302 हिंदी कोर विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 041 गणित
मामला 2 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 048 शारीरिक शिक्षा विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 044 जीव विज्ञान	मामला 6 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 अकाउंटेंसी विषय 3: 054 बिजनेस स्टडीज़ विषय 4: 030 अर्थशास्त्र विषय 5: 302 हिंदी कोर
मामला 3 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 302 हिंदी कोर विषय 3: 027 इतिहास विषय 4: 029 भूगोल विषय 5: 028 राजनीति विज्ञान विषय 6: 039 समाजशास्त्र	मामला 7 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 अकाउंटेंसी विषय 3: 054 बिजनेस स्टडीज़ विषय 4: 041 गणित विषय 5: 030 अर्थशास्त्र
मामला 4 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 3: 041 गणित विषय 4: 042 भौतिकी विषय 5: 043 रसायन विज्ञान विषय 6: 083 कंप्यूटर विज्ञान	मामला 8 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 अकाउंटेंसी विषय 3: 054 बिजनेस स्टडीज़ विषय 4: 030 अर्थशास्त्र विषय 5: 065 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस
अमान्य विषय संयोजन	
मामला 1 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 042 भौतिकी विषय 3: 043 रसायन विज्ञान विषय 4: 065 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस } - अमान्य विषय 5: 083 कंप्यूटर विज्ञान }	मामला 2 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 041 गणित विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 049 पेंटिंग } - अमान्य विषय 5: 050 ग्राफिक्स }
मामला 3 विषय 1: 322 संस्कृत कोर } -अमान्य विषय 2: 104 पंजाबी } विषय 3: 027 इतिहास विषय 4: 029 भूगोल	मामला 4 विषय 1: 302 हिंदी कोर } -अमान्य विषय 2: 002 हिंदी इलेक्टिव } विषय 3: 041 गणित विषय 4: 042 भौतिकी

विषय 5: 028 राजनीति विज्ञान विषय 6: 039 समाजशास्त्र	विषय 5: 043 रसायन विज्ञान
मामला 5 विषय 1: 302 हिंदी कोर विषय 2: 812 मार्केटिंग } - अमान्य विषय 3: 816 हॉर्टीकल्चर विषय 4: 830 डिजाइन विषय 5: 837 फैशन स्टडीज	

*सीडब्ल्यूएसएन उम्मीदवारों को रियायतों के लिए, कृपया रूपरेखा और महत्वपूर्ण दिशानिर्देश देखें।